



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08042021-226418
CG-DL-E-08042021-226418

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1383]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 7, 2021/चैत्र 17, 1943

No. 1383]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 7, 2021/CHAITRA 17, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2021

का.आ.1494(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ (2) और (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है।

उक्त राजमार्गों, जिन्हें अब इस अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना है, को तालिका के स्तम्भ (1), (2) और (3) में यथा-निर्दिष्ट क्रमशः नई क्रम संख्याओं, नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याओं तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के विवरण के साथ उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट समझा जाएगा।

तालिका

क्र.सं.	नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण
(1)	(2)	(3)
602	167एन	तेलंगाना राज्य में महबूबनगर के निकट रारा – 167 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर कोडंगल, तंदूर को जोड़ने वाला और कर्नाटक राज्य में बापुर के निकट रारा-65 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।

603	930पी	तेलंगाना राज्य में कोथागुडेम के निकट रारा – 30 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर येल्लांडू, महबूबाबाद, नेल्लीकुदुरु, थोरूर, वलीगोंडा को जोड़ने वाला और गोवरेल्ली के निकट हैदराबाद रिंग रोड के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।
-----	-------	--

पाद टिप्पण: राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और इसकी अनुसूची, भारत के राजपत्र में दिनांक 4 अप्रैल, 2011 को अधिसूचना संख्या का.आ. 689(अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित की गई थी और उसके पश्चात अधिसूचना संख्या का. आ. 1300(अ), दिनांकित 23 मार्च, 2021 द्वारा संशोधित की गई थी।

[फा. सं. एनएच-14012/8/2021-पी एंड एम-पार्ट(1)]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th April, 2021

S.O. 1494(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby declares each of the highways specified in columns (2) and (3) of the Table below to be a national highway.

The said highways, now declared to be national highways, shall be deemed to be specified in the Schedule to the said Act with the new serial numbers, the new national highways numbers and the description of the national highways thereof, as indicated in columns (1), (2) and (3) respectively, of the said Table.

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
602	167N	The highway starting from its junction with NH-167 near Mahabubnagar connecting Kodangal, Tandur in the state of Telangana, Chincholi and terminating at its Junction with NH-65 near Bapur in the state of Karnataka.
603	930P	The highway starting from its junction with NH-30 near Kothagudem connecting Yellandu, Mahabubabad, Nellikuduru, Thorrur, Valigonda and terminating at its Junction with Hyderabad outer ring road near Gowrelly in the State of Telangana.

Footnote: The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was substituted vide notification number S.O.689 (E), dated 4th April, 2011 published in the Gazette of India, dated the 4th April, 2011 and subsequently amended vide notifications number S.O. 1300 (E), dated 23rd March, 2021.

[F. No. NH-14012/8/2021-P&M-Part(1)]

RAJESH GUPTA, Director